HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. - 1626 of 2026

Mohd. Yaseen

.....Petitioner(s)

Versus

State of U.P. and 3 others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s) : Satya Dheer Singh Jadaun
Counsel for Respondent(s) : G.A.

Court No. - 42

HON'BLE ATUL SREEDHARAN, J.
HON'BLE ACHAL SACHDEV, J.

1. Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the State.

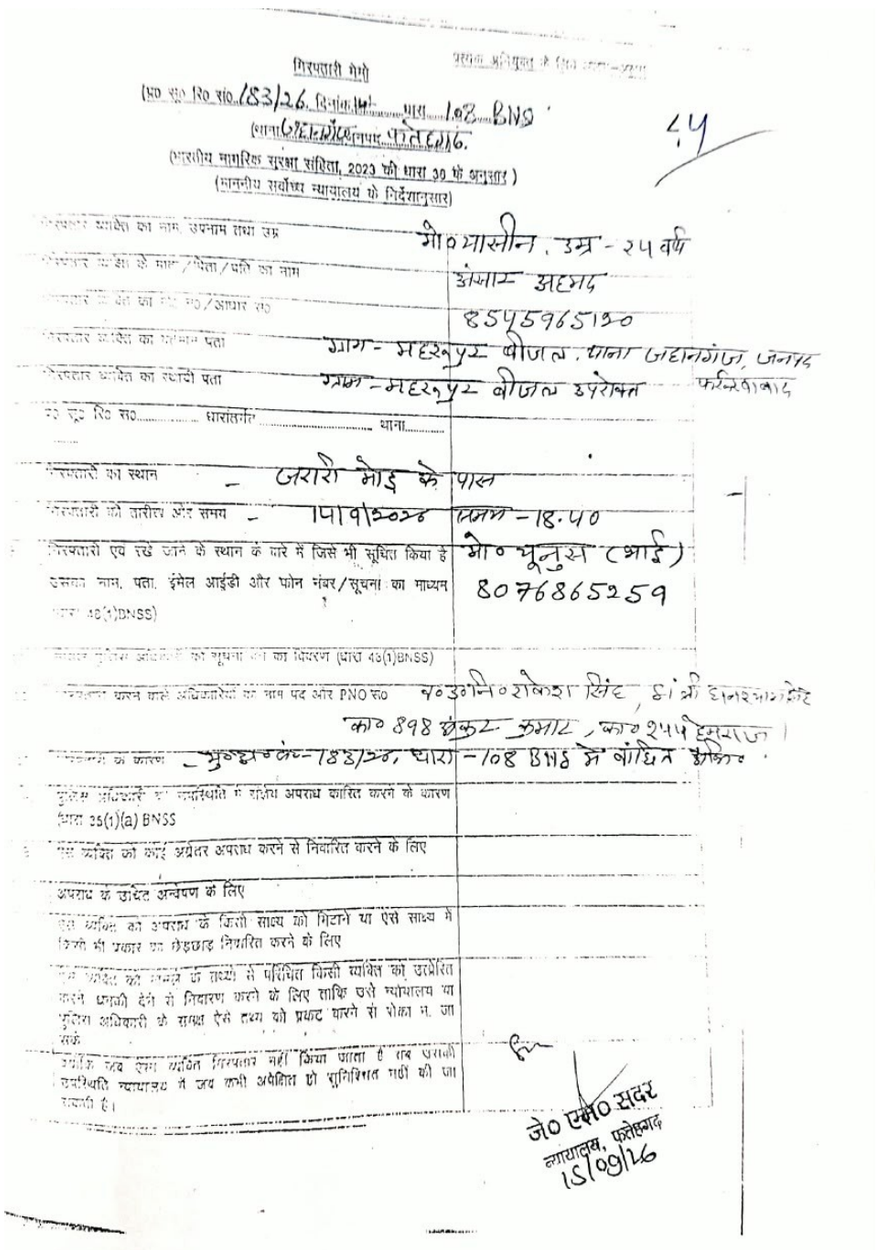
2. The petitioner has been arrested on 14.09.2026 as per the record (arrest memo). However, he states that he was taken into custody on 13.09.2026 when he himself went to the police station along with the lawyer to join the investigation into death of the daughter of the complainant.

3. Brief facts against the petitioner are that the daughter of the complainant committed suicide on account of harassment of the petitioner. Learned counsel for the petitioner submits that the bail application was dismissed by the learned court

concerned. The arrest memo is at page nos.44 and 45 of the petition. The arrest memo by itself is deficient in material particulars relating to the reasons of arrest.

4. However, learned counsel for the State submits that the reasons for arrest and the memo of arrest were separately prepared and given to the petitioner on the same day on 14.09.2026 which purportedly bears signature of the petitioner.

5. The said document placed before this Court by learned counsel for the State, upon instructions received by him from the police, is reproduced hereinbelow:



गिरफ्तारी मेमो

(धारा 47 BNSS)

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 30 के अनुसार)

(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार)

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उपनाम तथा उम्र	मो० यासीन, उम्र - २५ वर्ष
गिरफ्तार व्यक्ति के माता/पिता/पति का नाम	अंसार अहमद
गिरफ्तार व्यक्ति का पहचान नं०/आधार नं०	854598513-0
गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	ग्राम - महरुपुर बीजल, थाना उदानगंज, जनपद फतेहाबाद
गिरफ्तार व्यक्ति का स्थायी पता	ग्राम - महरुपुर बीजल इशरोक्त
मु० अ० सं० धारा/तहत थाना	
गिरफ्तारी का स्थान	जरारी मोड़ के पास
गिरफ्तारी की तारीख और समय	14/9/2026 समय - 18.40
गिरफ्तारी एवं रखे जाने के स्थान के बारे में जिसे भी सूचित किया है उसका नाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर/सूचना का माध्यम (धारा 48(1)BNSS)	मो० धूनुस (भाई) 8076865259
गिरफ्तार व्यक्ति को सूचना देने का विवरण (धारा 48(1)BNSS)	
गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों का नाम पद और PNO सं०	ब०उ०नि० राकेश सिंह, हो० श्री इनाइमाजोरे का० 898 छकुर कुमार, का० 2454 इमराज
गिरफ्तारी के कारण	मु०अ०सं० 188/26, धारा - 108 BNS में बांधित होकर
पुलिस अधिकारी को परिस्थितियों में उचित अपराध कारित करने के कारण (धारा 35(1)(a) BNSS	
उस व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से निवारित करने के लिए	
अपराध के उचित अन्वेषण के लिए	
ऐसे व्यक्ति को अपराध के किसी साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी भी प्रकार छेड़छाड़ निवारित करने के लिए	
उस व्यक्ति को उपलब्ध उन तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने धमकी देने से निवारण करने के लिए साक्षि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोका न जा सके	
यदि जब इसे व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब उसकी उपस्थिति न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।	

जे० एम० सदर
न्यायालय, फतेहाबाद
15/09/26

गिरफ्तारी के आधार	विवरण अंकित करें
गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के बयान एवं साक्ष्यों के साथ-साथ पहले मुकदमा दिये गये साक्ष्यों के आलोक में कैसे गिरफ्तारी आवश्यक है।	
वह समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट है।	
वह समस्त सामग्री/बरामदगी जिसके आधार पर उक्त अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता है।	
अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ्तारी के समय तक एकत्र की गयी समस्त सामग्री जिससे गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई।	
तथा ऐसी सामग्री दस्तावेजी साक्ष्य व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि जो कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से सम्बन्धित है, का विवरण।	
गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्ध में बी.एन.एस. को किन-किन धाराओं में सामग्री/साक्ष्य है, जो कि गिरफ्तारी के लिये आवश्यक है, का विवरण।	
जमानत व जमानती मामलों में गिरफ्तारी पर जमानत के अधिकार से अवगत कराया गया या नहीं (धारा 47(2)BNSS)।	
शरीर पर कोई चोट अथवा अभिघात आदि के निशान।	
गिरफ्तारी के दौरान	
या अन्यथा	
क्या गिरफ्तार व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों/उसका/उसकी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने के बारे में बताया गया?(धारा 38 BNSS)	हाँ। विधिक अधिकारों के बारे में बताया गया।

45

अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण एवं आधारों व विधिक अधिकारों के बारे में अभियुक्त को समझ आने वाली भाषा में भली भांति अवगत कराया गया तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं BNSS के प्रावधानों का गिरफ्तारी के दौरान पालन किया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पैंक ह०उ०नि० राकेश सिंह
थाना उदयगंज
दिनांक 14/9/2026

प्रति रसीद(एक प्रति प्राप्त की)

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	रिश्तेदार/मित्र/नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
मो० यासीन	मो० मुन्ना 8076062259

गवाहों के नाम व हस्ताक्षर

क्र० स०	नाम व पूरा पता व मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
गवाह 1	धनश्यामादि उनाम/14,	
गवाह 2	अंकुरकुमार 8923783734	
	हमराज 7983233991	Hemraj

46

कारण गिरफ्तारी

नाम मो० यासीन पि० इंसार अहमद

पुत्र/पुत्री/पत्नी मो० यशा महरूपुर बीजल थाना ~~निवासी/निवासिनी~~ जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 18.3./2026 धारा 108 BNS पंजीकृत है । जिसमें आप नामित/प्रकाश में आये अभियुक्त/~~अभियुक्ता~~ है । दौराने विवेचना/साक्ष्य संकलन में अभियोग उपरोक्त में आपके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं आपको मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मानवाधिकार आयो के आदेश निर्देशों का पालन करते हुए अन्तर्गत धारा 108 BNS में दिनांक 14/09/26 समय 18:40 बजे पर हिरासत पुलिस/गिरफ्तार किया जाता है । गिरफ्तारी की सूचना/गिरफ्तारी का आधार आपको इस लिखित पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है ।

मो० यासीन

हस्ताक्षर अभियुक्त/अभियुक्ता

14/9/26

43

कारण गिरफ्तारी

नाम मो० यासीन पि० इंसार अहमद

पुत्र/पुत्री/पत्नी मो० यशा महरूपुर बीजल थाना ~~निवासी/निवासिनी~~ जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 18.3./2026 धारा 108 BNS पंजीकृत है । साक्ष्य से पाया गया है कि पीड़ित व पेरशान हेतु कोर्ट लगाकर ~~कोर्ट~~ शादी की है । न चलने का फैसला किया गया है । पंजीकृत है । जिसमें आप नामित/प्रकाश में आये अभियुक्त/~~अभियुक्ता~~ है । दौराने विवेचना/साक्ष्य संकलन में अभियोग उपरोक्त में आपके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं आपको मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मानवाधिकार आयो के आदेश निर्देशों का पालन करते हुए अन्तर्गत धारा 108 BNS में दिनांक 14/09/26 समय 18:40 बजे पर हिरासत पुलिस/गिरफ्तार किया जाता है । गिरफ्तारी की सूचना/गिरफ्तारी का आधार आपको इस लिखित पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है ।

मो० यासीन

हस्ताक्षर अभियुक्त/अभियुक्ता

14/9/26

6. From the scanned copies of the documents shown to us, the first three pages of the documents referred to the arrest memo and the reasons for arrest which have been given separately to the petitioner, upon comparison of these three documents along with the document given to the State by the investigating officer by way of the instructions, the Court finds that the arrest memo given by the State is identical to the arrest memo given to the petitioner at page nos.44 and 45 of the petition.

7. However, the reason for arrest which is at page no.46 of the petition which is the 3rd document, scanned and reproduced hereinabove, is different from the reason of arrest given by the investigating officer along with instructions to the office of the Government Advocate. In the copy of the reason for arrest given to the petitioner and the copy of which has been placed at page no.46 of the petition, the reason for arrest only mentions Section 108 of the BNS. The remaining particulars that a case has been registered and that evidence has emerged indicating that the deceased committed suicide on account of the harassment meted out to her by the petitioner, are conspicuously absent from the copy furnished to the petitioner.

8. The only logical inference that can be drawn from the aforesaid circumstances is that the reasons for arrest were

never supplied to the petitioner that is why the same is specific in the copy of the arrest memo given to the petitioner at page no.46 of the petition. The only inescapable inference is that the later part given to the reasons for arrest has been inserted by the investigating officer and subsequently the papers placed before the remand Magistrate and the papers placed before the learned court for deciding the bail application (bail application was rejected) reflect that an offence under Chapter XIV of the BNS relating to "false evidence and offence against public justice", appears to have been committed by the investigating officer.

9. This Court deprecates such action on the part of the police for fabricating evidence only in order to satisfy the reasons for arrest and the memo of arrest which were never given to the petitioner and to deny him the relief in the remand proceedings and bail proceedings. Therefore, this Court holds on the basis of what has been considered hereinabove that the reasons for arrest and the grounds of arrest are not communicated in compliance of the law laid down by Hon'ble Supreme Court in a catena of the judgments. Therefore, the petitioner's arrest is held to be unlawful and he shall be released forthwith, if not wanted in any other case.

10. The Superintendent of Police, Farrukhabad will forthwith get the first information report registered against the investigating officer of this case under the relevant provisions

of the aforementioned Chapter of the BNS and place the compliance report before this Court within a period of seven days from the date of this order.

11. Put up this case on 16.11.2026 as fresh.

12. Learned counsel for the State is requested to ensure immediate compliance of this order.

13. Let the copy of this order be forwarded to the Superintendent of Police, Farrukhabad, learned District Judge, Farrukhabad and learned Magistrate concerned through Registrar (Compliance), forthwith.

November 04, 2026
rkg

(Achal Sachdev,J.) (Atul Sreedharan,J.)

Digitally signed by :-
RAKESH KUMAR GAUTAM
High Court of Judicature at Allahabad